न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 09/2021

बउनवान

1. मदनलाल आयु 70 साल पुत्र उदालाल जाति बैरवा निवासी मण्डोला तहसील व जिला बारां, राज0
2. हरिशंकर आयु 50 साल पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी मण्डोला तहसील व जिला बारां, राज0 (अपीलांट्स)

बनाम

1. भरोस उर्फ भरोस्या पुत्र माधो जाति सहरिया निवासी मण्डोला तहसील व जिला बारां
2. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां, राज0 (रेस्पोंडेंट्स)

अपील अर्न्तगत धारा 225 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री मदनलाल गालव अभिभाषक (अपीलांट्स)

2. श्री अशोक मीणा अभिभाषक (रेस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक 30.11.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक तहसीलदार बारां के प्रार्थना पत्र संख्या 1/2020 बउनवान भरोस उर्फ भरोस्या बनाम मदनलाल वगै. अन्तर्गत धारा 183 बी आर0टी0एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 03.05.2021 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि विरूद्ध स्थापित प्रकिया का अनुसरण किये बिना, उक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य नहीं ली है नही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 35 वर्षों बाद पेश किया है, मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आपत्ति पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। पत्रावली जवाब के जवाब प्रार्थी हेतु नियत थी तथा दिनांक 22.04.2021 नियत पेशी थी इसके बीच ही दिनांक 17.04.2021 से कोविड–19 के कारण पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया था जो दिनांक 08.06.2021 तक लागू रहा। इस दौरान पक्षकारों व वकीलों को न्यायालयों में उपस्थिति की छूट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी हुई थी। इसी दौरान अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर [illegible] या है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट व उसकी मां ने [illegible] वादग्रस्त आराजी को करीबन 35 वर्ष पूर्व कीमत लेकर बेचान कर [illegible] अपीलांट को उनके द्वारा संभलाया गया था जिस बाबत [illegible] अपीलांट को अपनी [illegible] प्रस्तुत करनी थी परन्तु अवसर दिये बिना जबरन कब्जा करना [illegible]नकर गलत निर्णय [illegible] किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2020 बउनवान भरोस उर्फ भरोस्या बनाम मदनलाल वगै. अन्तर्गत धारा 183 बी आर0टी0एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 03.05.2021 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.22 15:12:57 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया गया कि अप्रार्थी/अपीलांट्स द्वारा आराजी पर कैसे व कब कब्जा किया, यह प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं है। मियाद के बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट व उसकी मां नैनगी द्वारा वादग्रस्त आराजी को करीबन 35 वर्ष पूर्व कीमत लेकर बेचान कर इकरारनामा निष्पादित कर कब्जा अपीलांट को उनके द्वारा संभलाया गया था, इकरारनामें के आधार पर प्राप्त किये गये कब्जे को अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया, तथा कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान एकपक्षीय बहस सुनकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने विधिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1981 पृष्ठ संख्या 647 बउनवान खेमचन्द बनाम श्रीमति कौशल में पारित निर्णय दिनांक 29.04.1981 की छायाप्रति पेश की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2020 बउनवान भरोस उर्फ भरोस्या बनाम मदनलाल वगै. अन्तर्गत धारा 183 बी आर0टी0एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 03.05.2021 को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा अपीलांट्स अनुसूचित जाति के हैं जिनके मध्य विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं हो सकता। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 ग्राम मण्डोला खाता संख्या नया 380 पुराना 362 ग्राम मण्डोला की आराजी खसरा नंबर 1045 रकबा 1.20 है. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 एवं नेनगी पत्नि स्व. माधो के समभाग में खाते दर्ज है। अपीलांट्स द्वारा यदि इकरारनामें से उक्त आराजी खरीदी है तो यह राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम की धारा 42 (बी) का उलंल्घन है, तथा इससे कोई अधिकार अपीलांट्स को प्राप्त नही होते। वह अतिक्रमी की हैसियत से ही रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण संख्या 01/2020 बउनवान भरोस उर्फ भरोस्या बनाम मदनलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2021 में कोई त्रुटि नही पाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.22 15:12:57 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप अपील [illegible] खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को [illegible] इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)